प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं1130/2014

{सत्र प्रकरण संख्या 206/2013 में दिनांक 17.09.2014 के निर्णय से उत्पन्न}

श्रीमती. शारदा पति सुरेंद्र उरांव, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी गाँव बड़ा, पुलिस थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज सी. जी., सिविल जिला सरगुजा, राजस्व जिला बलरामपुर (छ.ग.)

---अपीलार्थी।

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा, पीएस शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, नागरिक जिला सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.)

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु : श्री मनोज कुमार जयस्वाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु : श्री शरद मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

(14/07/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1.अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील, सत्र प्रकरण क्रमांक 206/2013 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला सरगुजा (अंबिकापुर) के न्यायालय के

अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.09.2014 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड पारित किया गया है:---

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं. सं. की धारा 307	आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा.दं. सं. की धारा 309	एक वर्ष का साधारण कारावास।

2. मृतक शिवनाथ अपीलार्थी का पुत्र था, जिसकी आयु उस समय लगभग 5 वर्ष थी। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि 28.03.2013 को लगभग 4 बजे अपीलार्थी ने अपने पुत्र पर हमला किया, उसकी हत्या कर दी और आत्महत्या का भी प्रयास किया।इसके बाद, महेश राम (पीडब्लू-1), जो मृतक का दादा है, ने दिनांक 28.03.2013 को एक एफआईआर (एक्स.पी-1) दर्ज कराई कि उक्त तिथि को लगभग 4 बजे शाम को उसकी पत्नी सीबी बाई (पीडब्लू-2), जो मृतक की दादी है, मृतक शिवनाथ को गोद में लेकर रोती हुई घर आई और उसे बताया कि अपीलकर्ता ने चाकू से शिवनाथ की हत्या कर दी है और स्वयं पर भी चाकू से हमला करके आत्महत्या करने की प्रयास किया है।इसके बाद, महेश राम (पीडब्लू-1) द्वारा विलय सूचना (एक्स पी/ 1) दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संपत्ति जब्ती ज्ञापन के तहत प्र.पी./4 के तहत एक टी-शर्ट जब्त की गई, जिसे महेश राम (पीडब्लू-1) द्वारा प्रमाणित किया गया और घटनास्थल से प्र.पी./5 के तहत खून से सनी मिट्टी जब्त की गई। अभियुक्ता का ज्ञापन बयान प्र.पी./9 के तहत दर्ज किया गया और उसके कब्जे से एक खून से सना चाकू बरामद किया गया।जांच रिपोर्ट प्र.पी./12 के तहत तैयार की गई थी।मृतक के शव को शव परिक्षण हेतु भेजा गया, जिसका संचालन डॉ. जोसेफ लकारा (पीडब्लू-6) ने किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्र.-पी/16 के माध्यम से दी, जिसमें बताया गया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमा, बाएं फेफड़े के ऊपरी भाग का फटना, बाएं हंसली और पहली पसली का फ्रैक्चर था और मृत्यु की प्रकृति हत्या की है। उसी डॉक्टर (पीडब्लू-6) ने मृतक की भी परीक्षा की और एमएलसी रिपोर्ट (प्र.पी-17) दी, जिसमें अपीलकर्ता के पेट में चोट पाई गई थी।

4. आरोपों को पुष्ट करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षीयों कि परीक्षा की और 21 दस्तावेज प्रदर्शित किए।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात अपीलकर्ता को इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि एवं दंड के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जायसवाल ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 309 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराकर गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 304 (भाग-II) के अंतर्गत अपराध का ही निर्माण होगा, क्योंकि अपीलकर्ता ने मृतक पर अचानक हमला किया था और मृतक की मृत्यु कारित करने का उसका कोई आशय या पूर्वचिंतन नहीं था।अतः, वर्तमान अपीलकर्ता का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और अपीलकर्ताओं का कृत्य मानव वध का है और इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ अपीलकर्ता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-II) के अंतर्गत अपराध में रूपान्तरित/परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि अपीलकर्ता लगभग 3 वर्ष 8 महीने तक जेल में रही, इसलिए उसे पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि के बराबर की दंड दिया जा सकता है।अपने तर्क के समर्थन में, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चुन्नी बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 1.7** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया हैं।दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत करते है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने अपने ही पुत्र की हत्या की है और आत्महत्या का भी प्रयास किया है तथा अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के बयानों और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 309 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उचित ही निर्णय दिया है। अतः, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/16) को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक रूप से दर्ज किया है, जिसमें यह राय दी गई है कि मृत्यु की प्रकृति हत्या की है, जो डॉ. जोसेफ लकारा (पीडब्लू-6) के साक्ष्य से विधिवत साबित होता है।अतः, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/16) और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर (पीडब्लू-6) के बयान को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की है और विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर तथ्य का सही निष्कर्ष दर्ज किया है और यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है।तदनुसार, हम उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

10. अगला प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त/अपीलकर्ता इस अपराध का रचयिता है।

11. अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। दोषसिद्धि के लिए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के ससुर महेश राम (पीडब्लू-1) और सी.बी. बाई

(पीडब्लू-2), जो अपीलकर्ता की सास हैं, डॉ. जोसेफ लकरा (पीडब्लू-6) तथा अन्वेषण अधिकारी एम.एल. शुक्ला (पीडब्लू-9) के बयानों पर भरोसा किया है।उनकी प्रतिपरीक्षा में, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह माना जा सके कि अपीलकर्ता ने मृतक पर हमला नहीं किया है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलकर्ता ने ही अपने पुत्र की मृत्यु का कारण बनाया है और यह साक्ष्यों पर आधारित सही तथ्य है और यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है।

12. उपर्युक्त निष्कर्ष हमें विचारणीय अगले प्रश्न की ओर ले जाता है, जो यह है कि क्या अपीलकर्ता का मामला भा.दं. सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है, जो मानव वध हत्या के संबंध में है और उसकी दोषसिद्धि को भा.दं. सं. की धारा 304 भाग-I या भाग-II में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है?

13. हाल ही में चुन्नी बाई (सुप्रा) के मामले में, अपीलकर्ता ने अपनी दो पुत्रियों पर हमला किया और उनकी मृत्यु का कारण बना।इससे पहले की अपील में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था, हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय में उनके माननीय न्यायाधीशों ने धारा 304 भारतीय दंड संहिता के भाग II के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को धारा 302 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से परिवर्तित कर दिया और उसे उसके द्वारा पहले ही काटी गई अवधि का दंड पारित किया गया । कंडिका 18,19,20 तथा 21 में माननीय न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:---

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरापु पुन्नय्या (1976) 4 एससीसी 382 के मामले में "हत्या" और "हत्या के बराबर न होने वाली मानव वध हत्या" के बीच के अंतर को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में समझाया है:

"12. दंड संहिता की व्यवस्था में, "मानव वध हत्या" एक जाति है और "हत्या" उसकी जाति। सभी "हत्या" " मानव वध" हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं।सामान्य रूप से, "हत्या की विशेष विशेषताओं" से रहित "मानव वध" "गैर इरादतन हत्या" है।इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंड निर्धारित करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से मानव वध की तीन डिग्री को मान्यता देती है।पहला है, जिसे "प्रथम श्रेणी की मानव वध" कहा जा सकता है।यह मानव वध का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है।दूसरे को "दूसरे दर्जे की मानव वध " कहा जा सकता है।यह धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय है।इसके बाद, "तीसरी डिग्री का मानव वध" आता है।यह मानव वध का सबसे निम्न प्रकार है और इसके लिए प्रदान की गई दंड भी तीनों श्रेणियों के लिए प्रदान किये गये दंड में सबसे कम है।इस स्तर का मानव वध धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत दंडनीय है।"

19. रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 8 एससीसी 289 में इस अंतर को निम्नलिखित शब्दों में और स्पष्ट किया गया:

"18. इस न्यायालय ने विनीत कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2007) 14 एससीसी 660] में यह देखा कि "हत्या" और "हत्या के बराबर न होने वाली मानव वध " के बीच शैक्षणिक अंतर को इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या [(1976) 4 एससीसी 382] में स्पष्ट रूप से उजागर किया था, जहाँ यह निम्नानुसार कहा गया था:(विनीत कुमार केस [(2007) 14 एससीसी 660:(2009) 1 एससीसी (क्रि) 915], एससीसी पृष्ठ 665-66, कंडिका 16)

"16.... कि आईपीसी की धारा 299 और 300 की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए सबसे सुरक्षित तरीका उक्त धाराओं के विभिन्न खंडों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों को ध्यान में रखना है।भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 के प्रत्येक खंड की बारीकी से तुलना करते हुए और विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1958 एससी 465:1958 क्रि एलजे 818] और राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य [एआईआर 1966 एससी 1874: 1966 क्रि एलजे 1509] में इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन प्राप्त करते हुए, न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया, जिन्हें बार-बार दोहराया गया है।ऐसा करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि जब भी न्यायालय के सामने यह प्रश्न आता है कि अपराध 'हत्या' है या 'हत्या के बराबर न आने वाली मानव वध', तो मामले के तथ्यों के आधार पर, उसके लिए इस समस्या पर तीन चरणों में विचार करना सुविधाजनक होगा। पहले चरण में विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे उसने किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना है।अभियुक्त के कृत्य और मृत्यु के बीच ऐसे कारणात्मक संबंध का प्रमाण, इस बात पर विचार करने के लिए दूसरे चरण की ओर ले जाता है कि क्या अभियुक्त का कृत्य धारा 299 में परिभाषित 'सदोष मानव वध' के बराबर है।

...यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो अपराध 'हत्या के बराबर न होने वाली सदोष मानव वध' होगा, जो धारा 304 के पहले या दूसरे भाग के तहत दंडनीय होगा, जो क्रमशः इस बात पर निर्भर करेगा कि धारा 299 का दूसरा या तीसरा खंड लागू होता है या नहीं।यदि यह प्रश्न सकारात्मक पाया जाता है, लेकिन मामला धारा 300 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है, तो भी अपराध 'हत्या के बराबर न होने वाली मानव वध' ही माना जाएगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अंतर्गत दंडनीय है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि ये केवल न्यायालय के कार्य को सुगम बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश थे, न कि कोई कठोर अनिवार्यता।"

20. इस न्यायालय ने रामपाल सिंह (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 के दंडात्मक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, अपराधों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके इन दोनों अपराधों के बीच अंतर को और स्पष्ट किया:

"21. संहिता की धाराएँ 302 और 304 मुख्यतः दंडात्मक प्रावधान हैं।ये घोषित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी अपराध करता है, तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है।इन दोनों धाराओं का विश्लेषण इस बात

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इन अपराधों में क्या समान है और उनमें से प्रत्येक में क्या विशेष है।इस प्रकार, सदोष मानव वध एक ऐसा अपराध है जो हत्या हो भी सकता है और नहीं भी। यदि यह हत्या है, तो यह हत्या के बराबर सदोष मानव वध है, जिसके लिए संहिता की धारा 302 में दंड निर्धारित है।धारा 304 उन मामलों से संबंधित है जो धारा 302 के अंतर्गत नहीं आते और यह अपराध को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करती है, अर्थात् (क) वे जिनमें जानबूझकर मृत्यु कारित की जाती है; और (ख) वे जिनमें जानबूझकर अनजाने में मृत्यु कारित की जाती है।पहले मामले में कारावास की सजा अनिवार्य है और अधिकतम स्वीकार्य सजा आजीवन कारावास है।दूसरे मामले में, कारावास केवल वैकल्पिक है, और अधिकतम सजा केवल 10 वर्ष के कारावास तक ही सीमित है।धारा 304 का पहला खंड केवल उन मामलों को शामिल करता है जिनमें अपराध वास्तव में "हत्या" है, लेकिन संहिता की धारा 300 के अपवादों में मान्यता प्राप्त परिस्थितियों की उपस्थिति से कम हो जाता है, दूसरा खंड केवल उन मामलों से संबंधित है जिनमें अभियुक्त का किसी विशेष को चोट पहुंचाने का कोई आशय नहीं है।इस संबंध में, हम फत्ता बनाम सम्राट [एआईआर 1931 लाह 63], 1151 में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं।सी. 476 (संदर्भ: डॉ. हरि सिंह गौर द्वारा भारत का दंड कानून, खंड 3, 2009।))"

21. उपरोक्त उद्धरणों से यह समझा जा सकता है कि किसी भी मामले में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कृत्य "हत्या" या "हत्या के बराबर न होने वाली मानव वध " है, एक मानदंड अपराधी के आशय की उपस्थिति या अनुपस्थिति है।यदि मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का "आशय" जिससे मृत्यु होने की संभावना है या यह ज्ञान, जो स्पष्ट रूप से सचेत होना चाहिए, कि यह इतना खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनेगा जिससे मृत्यु होने की संभावना है और मृत्यु या ऐसी चोट का कारण बनने के जोखिम को उठाने के लिए "बिना किसी बहाने" के ऐसा कार्य करता है, मामले में स्पष्ट रूप से सामने आता है, इसे धारा 300 आईपीसी के तहत "हत्या" के मामले के रूप में वर्गीकृत करना सबसे उपयुक्त होगा, जिसमें धारा 302 आईपीसी के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।दूसरी ओर, यदि मृत्यु या शारीरिक चोट पहुंचाने का "आशय" इतना स्पष्ट नहीं है, तो मामला धारा 304 आईपीसी के तहत दंडनीय "मानव वध" की कम कठोर श्रेणी में आएगा।

14. इसके अलावा, उपरोक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने कहा है कि एक माँ जीवनदाता होने के साथ-साथ बच्चे की पालनहार भी होती है।यह भी कहा गया है कि अनादि काल से हम न केवल सुनते आ रहे हैं, बल्कि "पूत कपूत सुने बहुतेरे," माता सुनी न कुमाता, इन पंक्तियों का सार भी देखते आ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि एक पुत्र बुरा पुत्र हो सकता है, लेकिन एक माँ कभी बुरी माँ नहीं हो सकती। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक माँ द्वारा अपने नाज़ुक बच्चों पर जानलेवा हमला करना, वह भी तब जब यह स्वीकार किया जाता है कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों के लिए केवल प्यार था, मानवीय अनुभवों के विपरीत है।कंडिका 50,59 तथा 60 में निम्नलिखित देखा गया था:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

50. हमारे विचार में, मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, उपरोक्त तर्क पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था।यदि ऐसे कोई प्रेरक कारक नहीं थे, जिन्होंने अपीलकर्ता को घरेलू माहौल में, जो अन्यथा सभी मामलों में सामान्य था, ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया, तो यह पूरी तरह से समझ से परे और समझ से परे है कि एक माँ जो अपने बच्चों से प्यार करती है और जिसका अपने पति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था, वह इस तरह के हिंसक कृत्य का सहारा कैसे ले सकती है और उसे अपने प्यारे बच्चों की "मौत का कारण बनने के आशय" से कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सिवाय इसके कि वह अपने नियंत्रण से परे किसी प्रभाव या ताकतों के प्रभाव में आ गई हो, जैसा कि उसने दावा किया है।यह बात आमतौर पर हर समाज में, विशेषकर भारतीय समाज में, स्वीकार की जाती है कि सभी मानवीय रिश्तों में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बच्चे का होता है।माँ बच्चे की जीवनदायिनी होने के साथ-साथ उसकी पालनहार भी होती है। अनादि काल से हम "पूत कपूत सुनेबहुतेरे" पंक्तियों का सार न केवल सुनते आए हैं, बल्कि उसका पालन भी करते आए हैं।, जिसका अर्थ है कि पुत्र बुरा पुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी बुरी माँ नहीं हो सकती है। वास्तव में, यह कोई विधि नियम नहीं हो सकता है कि माताएं कभी अपराधी नहीं हो सकतीं है, लेकिन वर्तमान मामले में, बिना किसी उद्देश्य के, एक मां द्वारा अपने नाज़ुक बच्चों पर जानलेवा हमला करना, वह भी तब जब यह स्वीकार किया जाता है कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि केवल अपने बच्चों के प्रति प्रेम था, यह मानवीय अनुभवों के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xxxx

59. इन परिस्थितियों में, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरापु पुन्नय्या (सुप्रा) और रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रा) में बताए गए व्यावहारिक परीक्षणों को लागू करते हुए, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मामला "तृतीय श्रेणी की गैर इरादतन हत्या" की तीसरी श्रेणी में आता है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा यह कृत्य मृत्यु कारित करने के इरादे के बिना किया गया था, और उक्त गैर इरादतन हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग **II** के अंतर्गत आती है।

60. तदनुसार, हम अपीलकर्ता की धारा 304 आईपीसी के भाग **II** के तहत दोषसिद्धि को धारा 302 आईपीसी की दोषसिद्धि से परिवर्तित करते हैं, जिसके तहत उसे शुरू में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और दंड पारित किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

15. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, इस मामले में, महेश राम (पीडब्लू-1) एफआईआर (एक्स.पी-1) दर्ज कराने वाला है।वह मृतक का दादा है।उन्होंने एफआईआर में कहा है कि घटना दिनांक को शाम करीब 4 बजे उनकी पत्नी सीबी बाई (पीडब्लू-2), जो मृतक की दादी हैं, मृतक शिवनाथ को गोद में लेकर रोते हुए घर आईं और उन्हें बताया कि अपीलकर्ता ने चाकू से शिवनाथ की हत्या कर दी है और स्वयं पर भी चाकू से हमला करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है।यद्यपि न्यायालय के समक्ष यह गवाह (पीडब्लू-1) अपने बयान से पलट गया और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, तथापि, प्रतिपरीक्षा के

कंडिका 9 में उसने कहा है कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि किसी ने उसके पोते की हत्या कर दी है। इसके अतिरिक्त, सीबी बाई (पीडब्लू-2), जो मृतक की दादी और अपीलकर्ता की सास हैं, ने अपने बयान में कहा है कि लगभग 3 बजे जब वह भैंस चराने के बाद लौट रही थीं, तो उन्होंने देखा कि मृतक खेत में मृत पड़ा था और उसके बाद वह उसे उठाकर घर ले आईं।उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता भी उसी खेत में उसके बच्चे के पास मौजूद थी।

16. चुन्नी बाई (सुप्रा) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में तथा अभिलेख उपलब्ध साक्ष्य से और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता मृतक की मां है, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता के पास मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई पूर्वचिंतन या इरादा नहीं था और मृतक के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा था।हालांकि, मृतक को लगी चोटों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अपीलकर्ता का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे अवश्य ही यह पता था कि मृतक के शरीर पर उसके द्वारा पहुंचाई गई ऐसी चोटों से मृतक की मृत्यु हो सकती है। अतः, हमारा मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-II) में परिवर्तित/रूपान्तरित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त चर्चा के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा उसे दी गई आजीवन कारावास का दंड को अपास्त कर दिया जाता है।इसके बजाय, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए, चूंकि अपीलकर्ता लगभग 3 वर्ष 10 महीने से अधिक समय तक जेल में रही, इसलिए उसे उसके द्वारा पहले ही काटी गई अवधि की दंड पारित किया जाता है।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत अपराध के संबंध में, डॉक्टर (पीडब्लू-6) द्वारा साबित एमएलसी रिपोर्ट (एक्स.पी-17) से पता चलता है कि उसके पेट में चीरा हुआ घाव था।उक्त चोट के संबंध में, डॉक्टर (पीडब्लू-6) ने कहा है कि उक्त चोटें तेज पुराने हथियार से हो सकती हैं और चोटों के इलाज के लिए अपीलकर्ता को 28.03.2013 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।इसके अलावा, महेश राम (अभियुक्त-1) और सीबी बाई (अभियुक्त-2) ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता अपने पुत्र के पास खेत में लेटी हुई थी।इन साक्षीयों की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे यह माना जा सके कि अपीलकर्ता ने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया है। अतः समग्र साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत दोषी ठहराते समय कोई त्रुटि नहीं की है। तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है।चूँकि वह उक्त अपराध के लिए पहले ही जेल में दंड भोग चुकी है, इसलिए इस संबंध में किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।

19. तदनुसार, इस दाण्डिक अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता के जमानत पर होने की सूचना है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि, दं. प्र. सं. की धारा 437–ए के तहत निहित प्रावधान के तहत उसके जमानत बांड छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

20. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाए।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur